न्यायालय नायब तहसीलदार धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

प्रकरण संख्या :—78 / 16
दायर दिनांक :— 13—05—2016
निर्णय दिनांक :—**10.07.2016**

अनवान

राजस्थान सरकार जरिए पटवारी हल्का अरणियाली

रामानन्द

बनाम

राजुराम पुत्र जगरूपाराम कौम विश्नोई
आसूराम / गोरधनराम कौम विशनोई साकिन सुदाबेरी

<u>निर्णय</u>

दिनांक :—10—**07—2016**

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का अरणियाली ने एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की है कि ग्राम अरणियाली के आराजी नम्बर **94 / 13** रकबा 429 व0फी0बीघा भूमि किस्म **बा0दो0** लगान 1.00 रूपये भूमि पर द्वारा संवत 2072 में दुकान व टांका बनाकर कर कृषि से गैर कृषि प्रयोग बिना भूमि संपरिवर्तन कराये अतिक्रमण कर रखा है। अतः अतिक्रमी के विरूद्ध राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 अ सपठित 91 आर.एल.आर. के तहत बेदखली की कार्यवाही करने का निवेदन किया है।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस के जरिए तलब किया गया। गैरसायल अनुपस्थित। गैरसायल की ओर से कोई जबाब ,साक्ष्य एव सबूत पेश नहीं हुआ है।

मेरे द्वारा उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन करने पर जाहिर आया कि गैरसायल द्वारा विवादित भूमि अतिक्रमण कर रखा है।जिससे गैरसायल को राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 अ सपठित 91 आर.एल.आर के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है एवं तत्काल प्रभाव से विवादित भूमि से बेदलख करने के आदेश दिये जाते है तथा वार्षिक लगान 01 रूपये रूपये का 50 गुणा, 50 रूपये जुर्माना आरोपित किया जाता है।जो गैरसायल से वसूल किया जावे। तथा मौके पर स्थित अन्य कोई सामग्री को जब्त सरकार निलामी के आदेश दिये जाते है। टी0आर0ए0 तथा पटवारी हल्का को मांगकायमी एवं बेदखली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक **10.7.2016** को मुकाम धोरीमन्ना पर सुनाया गया।

नायब तहसीलदार
धोरीमन्ना
जिला बाड़मेर।